

09/03/2021

पत्रावली तारीख पेशियों से बिरकर आज पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित। प्रकरण में बार-बार आवाज लगाई गई। बावजूद बार-बार आवाज लगाने वकील वादी अव्यवधान की ओर से कोई भी टाजिर अदालत नहीं आया है। अतः कार्यवाही प्रकरण अदम टाजिरी एवं अदम पेंरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो गया बाद लम्बील कारखिल यष्टर ही। अह निगमि आज दिनांक 09/03/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित मुद्रा सहित जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
उपखण्ड अधिवक्ता
उपखण्ड अधिवक्ता
खण्डला (सीकर)